



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029

अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली में छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र।

APPLICATION FORM FOR SEEKING OF L.T.C. AT THE A.I.I.M.S., NEW DELHI

01.	आवेदक का नाम/Name of the applicant (स्पष्ट अक्षरों में)/(in capital letters)			
02.	पदनाम एवं विभाग/Designation & Department			
03.	अपेक्षित छुट्टी की अवधि एवं दिनों की संख्या (यदि आवेदक स्वयं के लिए एल.टी.सी. प्राप्त करना चाहता/चाहती है, अन्यथा माह बताएं)/No. of days & period of the leave required(in the case of the applicant himself/herself wants to avail LTC,otherwise the month may be indicated)			
04.	अपेक्षित छुट्टी की प्रकृति (आकस्मिक छुट्टी/अर्जित छुट्टी इत्यादि)/Nature of leave required (Casual leave/Earned Leave etc.)			
05.	क्या एल.टी.सी. गृह-नगर अथवा भारत में भ्रमण करने के लिए अपेक्षित है? भ्रमण का स्थान एवं ब्लॉक वर्ष बताएं/Whether LTC is required to visit Home-Town or within India. Indicate destination and block year.			
06.	क्या एल.टी.सी. की आवश्यकता स्वयं/पारिवारिक सदस्यों के लिए है? यदि उनके पति/पत्नी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, तो उनके पति/उनकी पत्नी के नियोक्ता द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र इस आवेदन के साथ इस आशय के लिए अवश्य संलग्न करना होगा कि जिन परिवार के सदस्यों के लिए एल.टी.सी. आवेदन किया गया है, उनके सहित उन्होंने वर्तमान 4 वर्षों के ब्लॉक तथा 2 वर्षों के गृह-नगर ब्लॉक के लिए एल.टी.सी. प्राप्त नहीं किया है।/Whether LTC is required for self/family members. If his/her spouse works in Government Office, a certificate from the employer of his/her spouse must be appended with this application to the effect the he/she alongwith the family members for which LTC is requesting, have not availed LTC for the current 4 years block and 2 years home town block.	नाम Name	आयु Age	संबंध Relationship
07.	आवेदक को यह प्रमाणित करना अपेक्षित होगा कि उनके अन्य पारिवारिक सदस्य अर्थात् माता-पिता आदि उन पर पूर्णतः आश्रित हैं तथा वेतन अथवा पेंशन, पेंशन में अस्थायी वृद्धि, परंतु उन्हें मिली महंगाई राहत को छोड़कर, सहित उनकी कुल आय रु.9000/- प्रति माह से अधिक नहीं है तथा उन्होंने अपेक्षित ब्लॉक वर्ष के लिए पहले एल.टी.सी. प्राप्त नहीं किया है।/The applicant is required to certify that his/her other family members i.e. Mother & Father etc. are wholly dependent upon him/her and the total income does not exceed more than Rs.9000/- per month including stipend or pension, temporary increase in pension but excluding Dearness Relief on him/her and they have not availed LTC for the block year so required earlier.			
08.	आवेदक को यह भी प्रमाणित करना आवश्यक होगा कि उनके पुत्र/पुत्री बेरोजगार तथा अविवाहित हैं तथा उन पर पूर्णतः आश्रित हैं और उन्होंने अपेक्षित ब्लॉक वर्ष के लिए पहले एल.टी.सी. प्राप्त नहीं किया है।/The applicant is also required to certify that his/her, son/daughter are unemployed and un-married and wholly depend upon him/her and they have not availed LTC for the block for the block year so requested, on earlier occasions.			
09.	क्या 10 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण चाहिए अथवा नहीं?/Whether 10 days Earned Leave Encashment is required or not?	हां/नहीं Yes/No		
टिप्पणी: एल.टी.सी. नियमों के अनुसार ससुराल वाले एल.टी.सी. के हकदार नहीं हैं। NOTE: In-laws are not entitled to LTC according to LTC Rules.				

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(Signature of the applicant)

संस्तुतियों/टिप्पणियों, यदि कोई हो, सहित प्रमुख/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

सरकारी कर्मचारी द्वारा स्व-प्रमाणन हेतु प्रोफॉर्मा
Proforma for self-certification by the Government employee

मैं श्री/श्रीमती/कु.(सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का नाम) यह पुष्टि करना चाहता/चाहती हूँ कि मैं दिनांक.....(यात्रा की तारीख) के दौरान.....(भ्रमण का स्थान) के भ्रमण हेतु ब्लॉक वर्ष..... के लिए स्वयं/परिवारजन(जनों) हेतु..... छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.)(गृह नगर/भारत में अन्य किसी भी स्थान पर) ले रहा/रही हूँ। यह भी बताया जाता है कि मैं अथवा परिवार का/के सदस्य, जिनके लिए मैं छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ, उसने/उन्होंने वर्तमान ब्लॉक वर्ष में पहले एल.टी.सी. नहीं लिया है।

I sh./smt./Kr.(Name of the Govt. servant) wish to confirm that I am availing.....(Home Town/Any Place in India) LTC in respect of self/family member(s) for the block year..... to visit.....(Place of visit) during..... (dates of journey). It is stated that I or the family member for whom I wish to avail LTC has/have not availed of the same before in the present block.

2. परिवार के सदस्यों, जिनके संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया जा रहा है, उनका विवरण इस प्रकार है:
Particulars of members of family in respect of whom the Leave Travel Concession is being claimed are as under:

क्र.सं. Sl. No.	नाम Name(s)	आयु Age	सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with the Govt. Servant

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य पूर्णतः सही हैं तथा कोई भी गलत विवरण देने पर, मैं के.सि.से. (छु.या.रि.) नियमावली, 1988 के नियम 16 तथा संबंधित अनुशासनिक नियमावली के तहत उचित कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

3. It is certified that the above facts are true and any false statement shall make me liable for appropriate action under Rule 16 of CCS(LTC) Rules, 1988 and the relevant disciplinary rules.

टिप्पणी: छुट्टी यात्रा रियायत के दौरान भ्रमण किए गए स्थान से संबंधित रुचिकर जानकारी एवं तस्वीरें, यदि कोई हो तो, सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उन्हें उचित मंच पर साझा किया जाए।

N.B.: Government employee may share interesting insights and pictures, if any, of the destination visited while availing LTC on an appropriate forum.